रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235711
CG-DL-E-11052022-235711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2022/वैशाख 21, 1944
No. 2077] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2022/VAISAKHA 21, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

सं. 4 /2015–2020

विषयः 01.01.2022 से वित्त अधिनियम, 2021 के साथ परिशिष्ट 4द का संरेखण।

का.आ. 2185(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा परिशिष्ट 4द को अधिसूचित करती है जो वित्त अधिनियम, 2021 के साथ संरेखित है। यह परिशिष्ट 4द दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी होगा।

2. दिनांक 01.01.2022 से लागू यह नया परिशिष्ट 4द, जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई उच्चतम मूल्य सीमा, जहां भी लागू हों, दी गई हैं, 'रेग्यूलेटरी अपडेट्स > आरओडीटीईपी' लिंक के तहत डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभावः एक नई आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4द) को वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्क अनुसूची के साथ पूर्व अनुसूची को संरेखित करने के पश्चात् 01.01.2022 से कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/61/180/155/एएम–21/पीसी–3]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2022

No. 04/2015-2020

Subject: Alignment of Appendix 4R with the Finance Act, 2021 with effect from 01.01.2022

S.O. 2185(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Central Government hereby notifies an Appendix 4R which is aligned with the Finance Act , 2021. This Appendix 4R shall be effective from 01.01.2022.

2. This new Appendix 4R, with effect from 01.01.2022, containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, wherever applicable is available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link 'Regulatory Updates >RoDTEP'.

Effect of this Notification: A new RoDTEP schedule (Appendix 4R) has been notified for implementation with effect from 01.01.2022 after aligning the earlier schedule with the Customs tariff Schedule as per Finance Act, 2021.

This issues with the approval of the Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC-3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA